भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1236

उत्तर देने की तारीखः 11.02.2025

यंग अचीवर्स योजना के लिए छात्रवृत्ति

1236. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के बापतला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में युवा अचीवर्स योजना के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियों विशेष रूप से महिलाओं, दिव्यांगजनों और अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्गों दोनों समुदायों से संबंधित व्यक्तियों को प्रदान की गई छात्रवृत्तियों का राज्य-वार ब्यौरा और संख्या कितनी है;

(ख) आंध्र प्रदेश में पिछले पांच वर्षों के दौरान महिलाओं, दिव्यांगजनों और अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्गों दोनों समुदायों के व्यक्तियों के लिए उक्त योजनाओं के अंतर्गत दिए गए अनुदान के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधियों के बारे में आंध्र प्रदेश के विशेष रूप से बापतला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के बापतला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में युवा अचीवर्स योजना के अंतर्गत विशेष रूप से महिलाओं, दिव्यांगजनों और अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्गों दोनों समुदायों के लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा और संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सरकार ने उक्त योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई प्रचार गतिविधियां की हैं और यदि हां, तो विशेष रूप से बापतला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और दिव्यांगजनों को निम्नलिखित छात्रवृत्तियां प्रदान करता है:

i. अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस): यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की एक केंद्रीय क्षेत्र की व्यापक योजना है, जिसमें 04 उप-योजनाएँ शामिल हैं: (क) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए टॉप क्लास शिक्षा (टीसीएस), (ख) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (एनएफएससी), (ग) अनुसूचित जातियों आदि के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (एनओएस) और (घ) एससी और ओबीसी छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग (एफसीएस)। इन चार उप-योजनाओं में से पहली तीन छात्रवृत्ति योजनाएँ हैं।

ii. ओबीसी और अन्य के लिए यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस): यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की एक केंद्रीय क्षेत्र की व्यापक योजना है जिसमें दो उप-योजनाएँ शामिल हैं: (क) ओबीसी के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (ख) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी की डॉ. अंबेडकर केंद्रीय क्षेत्र योजना। इन दो उप-योजनाओं में से केवल पहली ही छात्रवृत्ति योजना है।

iii. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस) के नाम से कोई योजना लागू नहीं करता है। हालाँकि यह विभाग 'दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति' नामक एक व्यापक योजना लागू कर रहा है, जिसमें छह उप-योजनाएँ शामिल हैं: (क) मैट्रिक पूर्व (ख) मैट्रिकोत्तर (ग) टॉप क्लास शिक्षा (घ) राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (ङ) दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप और (च) निःशुल्क कोचिंग योजना।

उपर्युक्त सभी योजनाएं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं, इसलिए राज्यों/जिलों को धनराशि आवंटित नहीं की जाती है। ये योजनाएं अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वित की जाती हैं और किसी भी राज्य के छात्र इन योजनाओं के तहत लाभ उठा सकते हैं।

पिछले पांच वर्षों के दौरान इन तीन योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों की संख्या इस प्रकार है:

<u>एससी के लिए श्रेयस</u>

वित्त वर्ष	व्यय (करोड़ में)	पुरुष लाभार्थी	महिला लाभार्थी	कुल लाभार्थी
2019-20	272.3	3938	2450	6388
2020-21	218.89	4778	2372	7150
2021-22	261.64	5720	2628	8348
2022-23	306.33	5320	2557	7877
2023-24	372.22	5470	2779	8249

ओबीसी के लिए श्रेयस

वित्त वर्ष	व्यय (करोड़ में)	पुरुष लाभार्थी	महिला लाभार्थी	कुल लाभार्थी
2019-20	52.50	582	610	1192
2020-21	33.00	623	610	1233
2021-22	55.55	691	647	1338
2022-23	51.32	846	724	1570
2023-24	89.70	1095	914	2009

दिव्यांग छात्रों (दिव्यांगजन) के लिए छात्रवृत्ति

वित्त वर्ष	व्यय (करोड़ में)	लाभार्थियों की कुल संख्या
2019-20	114.57	42972
2020-21	91.77	26067
2021-22	131.43	42136
2022-23	131.43	44162
2023-24	145.2	29374

(घ): इस योजना के बारे में व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन, सोशल मीडिया अभियान चलाने, वेबसाइट पर योजना के दिशा-निर्देशों का विवरण अपलोड करने, योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

****